

धारा 57 : उपभोक्ता कल्याण निधि

सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित को ऐसी रीति में जमा किया जाएगा जो विहित की जाए—

- (क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम;
- (ख) निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से हुई किसी आय; और
- (ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां।

उपयुक्त नियम: नियम 97
